न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर मु0 कोलायत
पीठासीन अधिकारी :– साँवरमल रैगर, आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 01/2019

बंशीराम पुत्र सुन्दर राम जाति भाट सा0 वार्ड नं0 3 लूणकरणसर तह0 लूणकरणसर जिला बीकानेर

———वादी ———

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

———प्रतिवादी———

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं 151 सीपीसी

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमान गिरी वकील प्रार्थी
2. पैरोकार राज, तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु. कोलायत

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम-बीकानेर, मु. कोलायत

– : निर्णय :–

दिनांक :– 28 मई 2024

1. प्रार्थीगण द्वारा इस आशय का एक वाद पत्र जरिये वकील श्री हनुमान गिरी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी ग्राम लूणकरणसर तह0 लूणकरणसर जिला बीकानेर का स्थायी निवासी एवं काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। वादी के नाम से उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत के ग्राम सुरजड़ा के ख0नं0 88/2 में रकबा 50 बीघा खातेदार एमएफएफआर में अवाप्त के बदले में दी गई है उक्त भूमि वर्तमान में चकबंदी होकर चक 10 एसजेडी (बी) के मु0नं0 57/1/16 किला नं0 25 रकबा 1 बीघा कमांड व मु0नं0 57/3/4 किला नं0 16 ता 25 रकबा 9 बीघा कमांड, मु0नं0 57/4/5 किला नं0 1ता3,9ता12,20 रकबा 8 बीघा कमांड, मु0नं0 57/4/1 किला नं0 1ता10,14 ता 16 रकबा 13 बीघा कमांड व मु0नं0 57/3/8 किला नं0 11 ता 13 रकबा 3 बीघा कमांड/अं0क0 व चक 11 एसजेडी (ए) के मु0नं0 57/1/16 किला नं0 15ता 17 रकबा 3 बीघा कमांड मु0नं0 57/3/4 किला नं0 11,12 रकबा 2 बीघा अ0कं0 इस प्रकार कुल तीनो चकों की 50 बीघा भूमि पैमूद हुई है। उक्त भूमि अवाप्ति के समय एमएफएफआर में खातेदारी के नाम में देते समय वादी का नाम बंशी की जगह मुंशी लिख दिया गया है जो सहवन से लिपिकीय त्रुटि है। क्योकि वास्तविक नाम बंशी है। जिसको मुंशी लिखा गया है। वादी सही नाम की दुरूस्ती करवाना चाहता है।
2. सर्वप्रथम प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये सम्मन से तलब किया गया पैरोकाराज एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर ने अपने जवाब में बताया कि मुताबिक रिकार्ड

2

(साँवरमल रैगर)
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
प्रथम बीकानेर मु. कोलायत

वादग्रस्त भूमि मुन्सी पुत्र सुन्दर कौम भाट साकिन मनेटा एम0एफ0एफ0आर0 खातेदार दर्ज है।

3. वाद में जवाब प्रस्तुत होने पर वादी द्वारा बतौर साक्ष्य/सबूत के रूप में ग्राम पंचायत लुणकरणसर का प्रमाण पत्र आधार कार्ड संख्या 893794923835 की छाया प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र संख्या एसएमडी/0657114 की छायाप्रति आयकर विभाग भारत सरकार द्वारा जारी स्थायी लेखा संख्या कार्ड (पेनकार्ड) नं0 DRDPB7787L की छायाप्रति, राजस्थान राजय पथ परिवहन निगम द्वारा जारी वरिष्ठ नागरिक के प्रमाण पत्र संख्या 0916000002663 की छायाप्रति, राजस्थान सरकार द्वारा जररी भामाशाह कार्ड में परिवार पहचान संख्या VWPJOON की छायाप्रति, परिवार राशन कार्ड की छाया प्रति, लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र की वर्ष 1993,1998,1988 की मतदाता सूचि की छायाप्रति प्रस्तुत की है। जिसमें वादी का नाम बंशीराम वल्द सुन्दरराम अंकित है। विद्वान अधिवक्ता की बहस, प्रस्तुत साक्ष्य सबूतो दस्तावेजों व राजपैरोकार के जवाब से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि वादी के नाम मुन्शीराम के स्थान पर बंशीराम किया जाने का संशोधन किया जाता है एवं उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर को निर्णय की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संशोधन अनुसार राजस्व अभिलेख में नामों की शुद्दि कर पालना से न्यायालय को अवगत करवाया जावें।

निर्णय आज दिनांक 28 मई 2024 को खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली नम्बर शुमार से कम होकर दाखिल दफतर हो।

न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन * प्रथम-बीकानेर, मु. कोलायत

(साँवरमल रैगर)
आर.ए.एस.
सहायक आयुक्त उपनिवेशन
(प्रथम), बीकानेर मु0 कोलायत